न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– विनोद कुमार मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 13/अपील/2021

1. **आशा आयु 21 वर्ष पुत्री छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम बसोली हाल निवासी ग्राम मोतीपुरा पोस्ट अबड तहसील, हिण्डोली जिला, बून्दी (राज0)।**

अपीलांट

बनाम

1. **श्रीमती मांगी बाई आयु 60 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल जाति मीणा निवास सरस की आतरी, बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।**
2. **मनोज आयु 24 वर्ष आ0 श्री शोजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डाटून्दा हाल निवासी सरस की आतरी, बसोली हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।**
3. **श्रीमान उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।**
4. **राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।**

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 1488 दिनांक 15.03.2021
ग्राम बसोली, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी
अपील अंतर्गत धारा :– 75 (1) (डी) भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 27/06/2024

निर्णय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या–1312 रकबा 0.2590 है0, खसरा संख्या 1317 रकबा 0.3076 है0, खसरा संख्या 1318 रकबा 0.2266 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.7932 है0 वाके ग्रम बसोली पटवार मण्डल बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में स्थित हैं, जो जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 में अपीलान्ट आशा पुत्री छोटया का 1/6 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट मांगीबाई का 1/6 हिस्सा खाता अंकित हैं और शेष भूमि अन्य सहख़ातेदारों के खाते में दर्ज हैं, इसी प्रकार खसरा संख्या 1299 रकबा 0.2833 है0 एवं खसरा सख्या 1304 रकबा 0.0081 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5180 है0 वाके ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित हैं, जिसमें अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारी दर्ज हैं, शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान दर्ज है। नामान्तकरण सख्या 1488 दिनांक 15.03.2021 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 मांगी बाई का उक्त कृषि भूमियों में दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 मनोज कुमार के पक्ष में ग्राम पंचायत बसोली द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस नामान्तकरण से अपीलान्ट व्यथित पक्षकार हैं और निम्नांकित अपील प्रस्तुत करती हैं :– अपीलाधीन नामान्तकरण वस्तु स्थिति एवं विधान प्रक्रिया के सर्वघा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

भूमि के मूल खातेदार पूर्वज अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल थे, जिनका स्वर्गवास हो गया है, अपीलान्ट उनकी पुत्री हैं तथा रेसपोडेन्ट क्रम संख्या 1 अपीलान्ट की माता हैं। स्वर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल का अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवरण के अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट एवं रेसपोडेन्ट क्रम संख्या 1 का संयुक्त व समान सहखातेदारी अधिकार हैं, पक्षकारों में अभी तक कृषि भमि का बटवारा नहीं हुआ है तथा संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट समय–समय पर कृषि भूमि की फसल व्यवस्था आदि की देख–रेख करती हैं। रेसपोडेन्ट क्रम संख्या 1 ने अपील विषयक कृषि भूमि पर अकेले अपना स्वत्वः कायम करने तथा अपीलान्ट का स्वत्वः नष्ट करने की नीयत से अपीलान्ट की ईच्छा के विरूद्ध अल्पआयु में रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 मनोज कुमार के साथ उसका विवाह कर दिया किन्तु अपीलान्ट ने इस अवैध विवाह को मानने से इंकार कर दिया तथा बत्तोर पत्नी रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 मनोज कुमार के साथ कभी नहीं रही। अपीलान्ट की आयु अभी मात्र 21 वर्ष हैं और वह शिक्षा प्राप्त कर रही है। रेस्पौडेन्ट क्रम संख्या 1 मांगीबाई ने अपीलान्ट का विवाह रेस्पोडेन्ट क्रम सख्या 2 के साथ करने के लिए रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 के पिता से अवैध राशि प्राप्त की थी। जब अपीलान्ट ने इस विवाह को मानने तथा रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 के साथ बत्तोर पत्नी रहने से इंकार कर दिया तो रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 पर अपीलान्ट के विवाह के समय दी गई राशि लौटाने का दबाव बनाया और इसी दबाव में रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 के पक्ष में अपील विषयक कृषि भूमि में खातेदार के स्थान पर दर्ज उसके 1/2 हिस्से को अवैध एवं अनधिकृत रूप से दिनांक 18.11.2020 को दान कर दिया। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 मांगी बाई स्वर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल की विधवा पत्नी हैं, पक्षकार मीणा जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती हैं। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 को स्वीर्गीय छोटया उर्फ छोटूलाल द्वारा छोडी गई कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय दान आदि द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 मनोज कुमार अपीलान्ट का पति नहीं हैं, अपीलान्ट की अल्पआयु में रेस्पोंडेन्ट क्रम संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 के साथ किये गये अपीलान्ट के विवाह को अपीलान्ट ने अस्वीकार कर दिया हैं, अर्थात् मानने से इंकार कर दिया है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 की ओर से उपरोक्त वर्णित बक्षीशनामों में रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 को पुत्री का पति (दामाद) सम्बोधित किया जाकर कृषि भूमि बक्षीश करने का कोई औचित्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 मांगी बाई वृद्ध है और शारीरिक रूप से कमजोर हो गयी है। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 के साथ धोखा–धडी पूर्वक अनुचित विश्वास का दुरूपयोग करके अपील विषयक कृषि भूमि के बाबत् बक्शीशनामें निष्पादित व पंजीकृत करवा लिए है, जो अपीलान्ट के विरूद्ध शून्य, अवैध, अनधिकृत एवं प्रभावहीन हैं। राजस्व अभिलेख की जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 मांगी बाई का नाम खातेदार के स्थान पर दर्ज होने मात्र से वह कृषि भूमि की स्वामी नहीं हैं। इस प्रविष्टि मात्र से रेस्पोडेन्ट क्र0स0 1 को कृषि भूमि को दान, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 1 को केवल मात्र जीवन यापन का सीमित अधिकार ही कृषि भूमि पर प्राप्त है। रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 2 वाद विषयक कृषि भूमि का सहखातेदार नहीं हैं, वह एक अजनबी व्यक्ति हैं, जिसे उक्त बक्शीशनामों के आधार पर कृषि भूमि के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा करने का

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

अधिकार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट रेसपोडेन्ट क्रम संख्या 2 के विरूद्ध भूमि के
किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करने तथा बक्षीशनामों के आधार पर खोले गये नामान्तकरण
से वाद ग्रस्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति अथवा बैंक को रहन, बैचान एवं भारग्रसत नहीं करने
के लिए सगिन आदेश प्राप्त करने की अधिकारी है। यदि रेसपोडेन्ट क्रम सख्या 2 के
विरूद्ध सगिन आदेश जारी नहीं किया गया तो अपीलान्ट को भारी अपूर्णीय क्षति होगी।
अपीलाधीन नामान्तकरण सर्वथा अवैध है एवं एक अवैध दस्तावेज के आधार पर स्वीकार
किया गया हैं। इस दस्तावेज एवं नामान्तकरण से रेसपोडेन्ट क्रम संख्या 2 को कोई
वैधानिक स्वत्व प्राप्त नहीं होता हैं, अवैध नामान्तकरण को कभी भी चुनौति दी जा सकती
है। अवैध दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करने का आदरणीय
न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट इस अवैध दस्तावेज की निष्पादक नहीं है और
न ही उसे इसकी जानकारी दी गई हैं दिनांक 31.10.2021 को नकल जमाबंदी लेने पर
प्रथम बार ज्ञात हुआ। जमाबंदी की प्रविष्टि देखने पर नामान्तकरण की नकल ऑनलाईन
प्राप्त की। नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सुना गया हैं और न ही
सूचना दी गई है। इस प्रकार नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा
किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की और से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम
प्रस्तुत हैं। अन्य तथ्य वक्त बहस न्यायालय की अनुमति से निवेदन किये जावेंगे।
आदरणीय न्यायालय को अपील का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर
प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1488 दिनांक 15.
03.2021 ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी निरस्त किया जावे। अन्य न्यायोचित
सहायता अपीलान्ट को प्रदान की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जर्ये नोटिस तलब किया गया।
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट महेन्द्र जैन ने वकालतनामा पेश किया।
वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि मेरी माता ने उसके हिस्से की
जमीन मेरे पति के नाम दान कर दी है उस दानपत्र से दर्ज नामान्तकरण की अपील हमारे
द्वारा की गई है। उक्त भूमि के मूल खातेदार मेरे पिता छोट्या उर्फ छोटूलाल थे जिनकी
मृत्यु उपरान्त मैं उनकी वारिस हूँ इसके अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलांट
का उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट 1 के साथ सयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट
संख्या 1 ने अपीलांट की इच्छा के विरूद्ध उसका विवाह कम उम्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 2
के साथ राशि प्राप्त कर किया था। अपीलांट ने उस विवाह को नहीं माना। इस प्रकार
अपीलांट द्वारा उक्त शादी को नहीं मानने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दामाद सम्बोधित
किया जाकर कृषि भूमि बक्क्षीश करने का कोई औचित्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वृद्ध होने से रेस्पो0 2 ने धोखाधडी पूर्वक बक्क्षीशनामा करवा लेने से
उक्त बक्क्षीशनामा अपीलांट के विरूद्ध शून्य प्रभावी है। अपीलांट की माता को महिला होने
से उक्त बक्क्षीश किए जाने के कोई अधिकार नहीं थे। अपीलांट विवादति भूमि में प्रथम
श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने की अधिकारी है।
उक्त बक्क्षीशनामा हमारे उपर शून्य प्रभावी होने से उसको निरस्त कराने की हमें कोई
आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अपने समर्थन में विनिर्णय 2024

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

(1) DNJ (रेवन्यू) पेज नम्बर 24 से 98 व HINDU SUCCESSION ACT,1956 Article no. 26, 27, 217,218, 258, 267, 2007 RRD page No. 739, 1968 RRD page No. 485 DB, 1984 RRD page No. 851 (RAJ.HC) (DB) पेश किये है।

वकील अपीलांट के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पो0 1 ने रेस्पो0 2 के नाम रजि0 बक्शीश किए जाने से उक्त नामान्तकरण दर्ज हुआ है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इनको उक्त रजि0 बक्शीशनामें को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाना चाहिए था। रेस्पो0 1 को विवादित भूमि बेचान करने का अधिकार था या नहीं ये इनको सक्षम न्यायालय से तय करवाना चाहिए था यहाँ रजि0 बक्शीशनामें से नामान्तकरण दर्ज हुआ है, जो कि सही है। नामान्तकरण की प्रक्रिया फिस्कल कार्यवाही है, जिससे कोई अधिकार तय नहीं होते है। अगर ये अपने अधिकारों की घोषणा चाहते है तो सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें। उक्त दर्ज किए गए नामान्तकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें। अपने समर्थन में विनिर्णय 2023 (1) DNJ(Rev) page No. 107, 2023 (2) DNJ(Rev) page No. 1413, 2023 (2) DNJ(Rev) page No. 1351, 1955 DNJ(RaJ) page No. 38, 2022 (1) DNJ(Rev) page No. 676, RRT 2011 page No. 64 पेश किये है।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट की माता द्वारा अपीलांट के पति के पक्ष में किए गए दान पत्र की अनुपालना में दर्ज नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है। जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण किये जाने की प्रक्रिया का प्रश्न है, राजस्व विभाग द्वारा कई परिपत्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिये गये है। प्रकरण में विवादित नामान्तरण संख्या 1488 दिनांक 05.01.2021 जो कि ग्राम पंचायत बसोली द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मनोज को पंजीकृत बक्शीक्षनामें से आई भूमि का दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरण तस्दीक किये जाने में ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अपीलांट की मॉ को दानपत्र निस्पादित करने का अधिकार था या नहीं का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अपीलांट वर्तमान में अपने पिता की 1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरे उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। उक्त नामान्तरण विधि अनुरूप है जिसे निरस्त किया जाना न्यायालय न्यायोचित नही समझता है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1488 निर्णय दिनांक 05.01.2021 द्वारा तस्दीक ग्राम पंचायत बसोली यथावत रखा जाता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)